

अभ्यारोहित प्रश्न संख्या : 193
दिनांक : 28.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री पंकज पुष्कर
विभाग का नाम : महिला एवं बाल विकास विभाग
विभाग का पता : 1ए, पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001

क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र. संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	गिमापुर विधानसभा क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2015 से 31, दिसंबर 2018 तक विधवा निराश्रित कन्या विवाह से संबंधित जो भी आवेदन निरस्त किये गए उनके नाम, पते एवं फोन नंबर उपलब्ध करवाएं;	गिमापुर विधानसभा क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2015 से 31, दिसंबर 2018 तक विधवा निराश्रित कन्या विवाह से संबंधित 27 आवेदन निरस्त किये गए हैं। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक : 04 आवेदन निरस्त किये अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक : 01 आवेदन निरस्त किये अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक : 08 आवेदन निरस्त किये अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक : 14 आवेदन निरस्त किये कुल : 27 *नाम,पते एवं फोन नंबर उपलब्ध करवाने हेतु : सर्वेदनशील विषय होने कारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदकों के नाम,पते एवं फोन नंबर का विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है अगर माननीय सदस्य अनुरोध करते हैं तो आवेदकों का विवरण उन्हें को सॉफ्ट कॉपी में प्रदान किया जा सकता है।
(ख)	इस सभी आवेदनों के निरस्त होने के क्या कारण हैं;	आवेदनों के निरस्त होने के कारण निम्न हैं:- <ul style="list-style-type: none">• आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना• पांच साल पुराना दिल्ली में रहने का प्रमाण न होना• अथवा आवेदन होना• दोहरी पेंशन लेना• संयुक्त खाता होना
(ग)	1 अप्रैल, 2015 से 31, दिसंबर 2018 तक विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत निरस्त किए गए, उन सभी का नाम, पता एवं फोन नंबर का विवरण क्या है; और	1 अप्रैल, 2015 से 31, दिसंबर 2018 तक विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन निरस्त किए गए हैं। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक : 13 आवेदन निरस्त किये अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक : 27 आवेदन निरस्त किये अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक : 133 आवेदन निरस्त किये अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2018 तक : 122 आवेदन निरस्त किये कुल : 295 * नाम,पते एवं फोन नंबर उपलब्ध करवाने हेतु : सर्वेदनशील विषय होने कारण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदकों के नाम,पते एवं फोन नंबर का विवरण प्रदान नहीं किया जा रहा है अगर माननीय सदस्य अनुरोध करते हैं तो आवेदकों का विवरण उन्हें को सॉफ्ट कॉपी में प्रदान किया जा सकता है।
(घ)	इस आवेदनों के निरस्त होने का कारण भी बताएं;	आवेदनों के निरस्त होने के कारण निम्न हैं:- <ul style="list-style-type: none">• आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना• पांच साल पुराना दिल्ली में रहने का प्रमाण न होना• अथवा आवेदन होना• दोहरी पेंशन लेना• संयुक्त खाता होना